

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-20/2023- 3692
प्रेषक,

व०प०, राँची, दिनांक- 29/9/23

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची-834002

विषय :- मेसर्स DVC द्वारा Garrison Engineers (MES) को 2.2 MVA पावर सप्लाई ट्रांसमिशन लाईन परियोजना हेतु 0.95 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-700 दिनांक-07.07.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन (सभी अनुलग्नक सहित) तथा CWLW, झारखण्ड के ज्ञापांक-1111 दिनांक-23.08.2023 से प्राप्त मंतव्य की छायाप्रति संलग्न है।

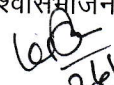
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- (3) विषयक प्रस्ताव के विरुद्ध 100 पौधों के वनरोपण तथा Maintenance की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- (5) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।
26/9/2023

ज्ञापांक-वन भूमि-20/2023- 3692

व०प०, राँची, दिनांक- 29/9/23

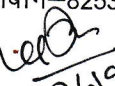
प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।


उप परामर्शी।
26/9/2023

ज्ञापांक-वन भूमि-20/2023- 3692

व०प०, राँची, दिनांक- 29/9/23

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप मुख्य अभियंता (वि०), टीएससी-IV, DVC, हजारीबाग-825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।
26/9/2023

PART – V

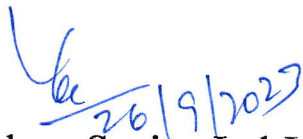
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 0.95 ha of Forest Land for Construction of 33 KV Transmission Line for 2.2MVA Power Supply to Garrison Engineers (MES) from DVC's Ramgarh Substation in Ramgarh Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 0.95 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.-3692 dated-29/9/23


Rajdeep Sanjay Lal John
Additional Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi